न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

कैम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1512 प्रकरण क्र. : ....

बाबूलाल आत्मज तुलसीराम
आयु वयस्क, निवासी ग्राम रातीबढ़
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ...... गैर निगरानीकर्ता

27-2-18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2018, जो प्रकरण 23/निगरानी/2015–16 में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1512

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले ग्राम रतिबड़ स्थित प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक को अधिकार बाहय आवंटित किया गया था । उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	